प्रशासन गांव कें संग (फोलोअप)अभियान वर्ष – 2022

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 349 सन 2022

अनवान :–

1. जीतसिह पुत्र जोगेन्दसिह जाति जटसिख निवासी रोडकी तहसील सर्दुलगढ

वादी

बनाम

1. भोलासिह पुत्र जोगेन्द्रसिह जाति जटसिख निवासी रोडकी तहसील सुर्दलगढ
2. गुरप्यारसिह उर्फ गुरप्यारसिह पुत्र नक्षत्रसिह जाति जटसिख निवासी रोडकी तहसील सर्दुलगढ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 10/05/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा दलपतपुरा के खाता संख्या 112/114 की कुल 10.490हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गुरदयालकौर पत्नी जोगेन्दसिह जाति जटसिख के नाम सें दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गुरदयालकौर पत्नी जोगेन्दसिह के नाम से दर्ज है जो वादी की माता है वादी की माता गुरदयालकौर पत्नी जोगेन्दसिह ने अपने जीवनकाल में अपने हक हिस्सा की वाद भूमि की वसीयत अपने पुत्र जीतसिह , भोलासिह एवं अपने पौत्र गुरप्यसासिह उर्फ गुरप्यारसिह अर्थात वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के पक्ष में तहरीर करवाई गई थी वादी की माता गुरदयालकौर पत्नी जोगेन्दसिह को देहान्त दिनांक 28.06.2017 को हो चुका है इसलिये वादी गुरदयालकौर पत्नी जोगेन्दसिह के देहान्त होने पर उसकी वसीयत के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी की माता गुरदयालकौर पत्नी जोगेन्दसिह के नाम से दर्ज है जिसे वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 गुरदयालकौर पत्नी जोगेन्दसिह के देहान्त होने पर उनकी वसीयत के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है परन्तु राजस्व रिकार्ड में भूमि गुरदयालकौर पत्नी जोगेन्दसिह के नाम से दर्ज जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी गुरदयालकौर पत्नी जोगेन्दसिह की वसीयत के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1, 2 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की गुरदयालकौर पत्नी जोगेन्दसिह के नाम से दर्ज भूमि को गुरदयालकौर पत्नी जोगेन्दसिह की वसीयत के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी सख्या 1ता 2 ने निवेदन किया की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड गुरदयालकौर पत्नी जोगेन्दसिह के नाम से दर्ज है जो वादी की माता एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 की दादी है गुरदयालकौर पत्नी जोगेन्दसिह ने अपने जीवनकाल मे वाद भूमि की वसीयत वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में करवाई गई थी वादी की माता गुरदयालकौर पत्नी

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

जोगेन्दसिह का देहान्त हो चुका है वादी की माता गुरदयालकौर पत्नी जोगेन्दसिह के देहान्त होने के वाद गुरदयालकौर पत्नी जोगेन्दसिह की वसीयत के अनुसार वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 वाद भूमि काश्त करते आ रहे है तथा राजस्व रिकार्ड में भूमि गुरदयालकौर पत्नी जोगेन्दसिह के नाम से दर्ज है जिसे गुरदयालकौर पत्नी जोगेन्दसिह की वसीयत के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 5 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात वादी के निवेदन पर पत्रावली प्रशासन गांव के (फोलोअप) अभियान वर्ष – 2022 में प्रस्तुत हुई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की रोही मौजा दलपतपुरा के खाता संख्या 112/114 की कुल 10.490हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गुरदयालकौर पत्नी जोगेन्दसिह जाति जटसिख के नाम सें दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गुरदयालकौर पत्नी जोगेन्दसिह के नाम से दर्ज है जो वादी की माता है वादी की माता गुरदयालकौर पत्नी जोगेन्दसिह ने अपने जीवनकाल में अपने हक हिस्सा की वाद भूमि की वसीयत अपने पुत्र जीतसिह , भोलासिह एवं अपने पौत्र गुरप्यसासिह उर्फ गुरप्यारसिह अर्थात वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के पक्ष में तहरीर करवाई गई थी वादी की माता गुरदयालकौर पत्नी जोगेन्दसिह को देहान्त दिनांक 28.06.2017 को हो चुका है इसलिये वादी गुरदयालकौर पत्नी जोगेन्दसिह के देहान्त होने पर उसकी वसीयत के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी की माता गुरदयालकौर पत्नी जोगेन्दसिह के नाम से दर्ज है जिसे वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 गुरदयालकौर पत्नी जोगेन्दसिह के देहान्त होने पर उनकी वसीयत के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है परन्तु राजस्व रिकार्ड में भूमि गुरदयालकौर पत्नी जोगेन्दसिह के नाम से दर्ज जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी गुरदयालकौर पत्नी जोगेन्दसिह की वसीयत के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद/कथनो को प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा दलपतपुरा के खाता संख्या 112/114 की कुल 10.490हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गुरदयालकौर पत्नी जोगेन्दसिह जाति जटसिख के नाम सें दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में उसकी माता गुरदयालकौर पत्नी जोगेन्दसिह के नाम से दर्ज है वादी की माता गुरदयालकौर पत्नी जोगेन्दसिह ने अपने जीवनकाल में अपने हक हिस्सा की वाद भूमि की वसीयत अपने पुत्र/पौत्रों वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में करवाई गई थी गुरदयालकौर पत्नी जोगेन्दसिह का देहान्त हो चुका है इसलिये वादी की माता गुरदयालकौर पत्नी जोगेन्दसिह की वसीयत के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है वादी के कथनो को प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की गुरदयालकौर पत्नी जोगेन्दसिह की वसीयत के अनुसार वाद भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है नही है व अपने कथनों के समर्थन में इकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है ।

अतः वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा दलपतपुरा के खाता संख्या 112/114 की कुल 10.4590हैक्ट भूमि में सयुक्त तौर से 7844/52295 हिस्सा वर्तमन राजस्व रिकार्ड में मृतक गुरदयाल कौर पत्नी जोगेन्द्र सिह के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी अकेला 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 1/3 हिस्सा का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 10/05/2022 को प्रशासन गांव के संग (फोलोअप) अभियान में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2022
कैम्प कोर्ट.......जसाना

उपखण्ड अधिकारी
नोहर